न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 09/2014

अपीलान्ट :-	बनाम	रेस्पोडेन्टस् :-
1. पुखराज पुत्र बद्रीलाल 2. भींयाराम पुत्र बद्रीलाल 3. जोरावर पुत्र बद्रीलाल 4. कंचनदेवी पुत्री बद्रीलाल 5. विमलादेवी पुत्री बद्रीलाल 6. जणकारी पुत्री बद्रीलाल 7. परमेश्वर पुत्र केसुदास 8. तेजाराम पुत्र केसुदास 9. नाथूराम पुत्र सुमेर जी जातियान-साद सतनामी, निवासीगण-लितरिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली 2. अनोपसिंह पुत्र जैतदान जाति-चारण,निवासी-खराड़ी तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध
म्यूटेशन संख्या 820 आदेश द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत-काणेचा

तारीख रजू : 19.11.2014

उपस्थितः. 1 श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

दिनॉकः 07/12/2015

-:: निर्णयः-

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि ग्राम पंचायत - काणेचा ने जो जैर अपील म्यूटेशन पारित किया हैं। वह विधि एवं विधि के सिन्दांतों से परे जाकर पारित किया हैं, जो हर सूरत में काबिल अपास्त के हैं। सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण की सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 25-05 बीघा वाके हैं। उक्त कृषि भूमि के संबंध में अपीलान्ट की औरं से एक राजस्व वाद संख्या 176/2011 माननीय न्यायालय हाजा में अपीलान्ट वादीगण ने घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतु पेश किया, जो विचाराधीन हैं। उक्त कृषि भूमि सामलाती व संयुक्त कब्जा काश्त की हैं। जिसका कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट संख्या 1 से 6 के पिता बद्रीलाल पुत्र बंशीलाल का 1/5 हिस्सा, हमीर पुत्र लच्छा का 1/5 हिस्सा, रामचन्द्र मोरिया पि0 चाहीतालाल का 1/5 हिस्सा, सुमेर केशु देशु पि0 सुलतान का 1/5 हिस्सा एवं भुरिया चन्द्रीया पि0 ताराचन्द का 1/5 हिस्सा बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बिना बंटवाड़ा के ही संयुक्त कृषि भूमि का बेचान सहहिस्सेदार रूपचन्द्र पुत्र मोरिया ने कर दिया हैं। ग्राम पंचायत - काणेचा के सरपंच ने उक्त बेचान के आधार से म्यूटेशन संख्या 820 रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 2 खरीददार के पक्ष में पारित किया हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधारों पर उक्त म्यूटेशन के खिलाफ अपील पेश कर रहे हैं।

जैर अपील म्यूटेशन संख्या 820 सरपंच ग्राम पंचायत -काणेचा ने पारित किया हैं जो ग्राम पंचायत को ऐसा म्यूटेशन पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं हैं। इसलिये इस आधार से जैर अपील म्यूटेशन काबिल अपास्त के हैं। जहां पर सक्षम न्यायालय के समक्ष पक्षकारान् के मध्य नियमित वाद घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन हो, तो ऐकसी स्थिति में उक्त म्यूटेशन विवादास्पद होने व प्रकारण न्यायालय में पैण्डिंग होने से भी ग्राम पंचायत को विवादित म्यूटेशन पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिए इस आधार से भी जैर अपील म्यूटेशन काबिल अपास्त के हैं। उक्त विवादास्पद म्यूटेशन पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हैं तथा उक्त विवादास्पद म्यूटेशन के संबंध में कानून के प्रश्न निहित हैं, जो ग्राम पंचायत को ऐसे म्यूटेशन को पारित करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को ट्रांसफर करना था, जो ग्राम पंचायत ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस आधार से भी जैर अपील म्यूटेशन हर सूरत में काबिल अपास्त के हैं। जहां पर म्यूटेशन विवादास्पद हो और पक्षकारान के मध्य नियमित वाद घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पैण्डिंग हैं, तो इन सभी प्रश्नों व अधिकारों का निर्णय वाद में ही होगा और वाद के निर्णय अनुसार ही म्यूटेशन पारित होगा। इसलिये इस आधार से भी जैर अपील म्यूटेशन काबिल अपास्त के हैं। विवादास्पद म्यूटेशन ग्राम पंचायत द्वारा पारित करने के पूर्व मौके पर खरीददार का कब्जा माफिक बेचान हैं अथवा नहीं इस कब्जे बाबत् कोई जांच पटवारी अथवा ग्राम पंचायत ने नहीं की हैं। इसलिये कब्जे के अभाव में खरीददार के पक्ष में कोई म्यूटेशन पारित नहीं किया जा सकता हैं। इसलिये इस आधार से भी जैर अपील म्यूटेशन हर सूरत में अपास्त के हैं। जैर अपील म्यूटेशन संख्या 820 पटवार हल्का-काणेचा ने दिनांक 01/11/2014 को भरा तथा इस म्यूटेशन पर शंकरलाल जोया निरीक्षक - निम्बोल की अंकन पत्रों से तुलना करने का इन्द्राज दिनांक 03/11/2014 का हैं और सरपंच काणेचा ने उक्त म्यूटेशन पारित करने की कोई तारीख अंकित नहीं की हैं और अपीलान्ट ने उक्त म्यूटेशन नकल दिनांक 10/11/2014 को पटवारी हल्का से प्राप्त की हैं। इसलिए यह अपील अंदर म्याद एक माह में सादर पेश किया हैं।

इस पर अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामिली के अप्रार्थी संख्या 2 के उपस्थित नहीं होने के दिनांक 22/12/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्ट ने प्रारूप 3 के साथ नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 14/10/2011 द्वारा पुखराज म्यूटेशन नहीं भरने मय तहसीलदार, जैतारण के पटवारी के नाम जारी आदेश क्रमांक/ 3172 दिनांक 14/10/2011 तथा न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद संख्या 238/2011 रूपी वगैरह बनाम जगदीश वगैरह की छाया प्रति पेश की। बहस के दौरान RRD 1998 पृष्ठ 368-369 (पैरा-5), RRD 1998 पृष्ठ 370 (पैरा-6-7), RRD 1993 पृष्ठ 608 (पैरा-10), तथा RRD 1993 पृष्ठ 774 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए तर्क दिया कि न्यायालय में वाद संख्या 238/2011 बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 176/2011 का लाम्बित होने के बावजूद ग्राम पंचायत काणेचा द्वारा विवादित आराजी बाबत् नामान्तरकरण संख्या 820 प्रमाणित कर दिया। जबकि उन्हें कानूनन ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें मामला विवादग्रस्त होने के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कारण तहसीलदार, जैतारण को भेजना चाहिए था। प्रस्तुत नजीरों के हवाले से वकील अपीलान्ट के निवेदन किया कि चूँकि घोषणा का नियमित वाद विचाराधीन हैं। उसमें ही भूमि के हक अधिकार तय होने हैं। इसलिए नामान्तरकरण जैरअपील को निरस्त किया जावें।

हमने नामान्तरकरण संख्या 820 दिनांक 03/11/2014 का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद संख्या 238/2011 का भी अवलोकन किया। अपीलान्ट ने क्रेता अनोपसिंह वल्द जैतदान चारण नि0-खराड़ी को पक्षकार बनाकर अपील पेश की हैं। क्योंकि उक्त विवादित आराजी में से क्रय अनुसार खरीददार के रूप में नामान्तरकरण दर्ज किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा यह अपील 17/11/2014 को प्रस्तुत की गई हैं। जबकि उनके द्वारा घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा 238/2011 दिनांक 30/09/2011 को दर्ज रजिस्टर हो, विचाराधीन हैं। अपील में जो अप्रार्थी संख्या 2 हैं। उन्हें सृजित किये जा चुका हैं। चूँकि वाद में नियमित सुनवाई पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना हैं। ऐसी स्थिति में विचाराधीन इस अपील में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अपील की कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित की जाती हैं तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजी सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 237 रकबा 25-05 बीघा की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा विक्रय, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि न करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली मूल वाद की पत्रावली के साथ शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 07/12/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner